स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

दिनांक 10.08.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ निगम क्षेत्र के दुकानदार अपने दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सुखे कचरे को दो अलग–अलग डस्टबीन में एकत्र कर निगम के स्वच्छता मित्र कचरा संग्रहण रिक्शा को देवें। सड़क पर कचरा फैलाने वालों से जुर्माना वसुलें। बंद कांजी हाउस में गेट लगाकर तथा चौकीदार नियुक्त कर उसे चालु करें। आयुक्त के0एल0 चौहान अपने नियमित भ्रमण के दौरान गुरुवार को जोन–03 व 04 के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर सफाई एवं अन्य कार्यों का निरीक्षण किये, उन्होने पावर हाउस स्थित सुलभ शौचालय की सफाई व्यवस्था का अवलोकन कर मार्केट का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान उन्होने देखा कि दुकानदार अपने दुकानों की सफाई कर कचरे को सड़क पर फेंक दे रहें हैं जिसपर आपत्ति जताते हुए आयुक्त ने दुकानदार को अपने पास बुलाकर समझाईस देते हुए कहा कि दुकान से निकलने वाले कचरे के लिए डस्टबीन रखें, दुकान के कचरे को सड़क पर फैलाने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दियें। आयुक्त आईटीआई के पीछे मैदान में डम्प कचरे का सेग्रीगेशन प्रतिदिन करने को कहा। नागरिकों द्वारा भैंस खटाल से फैंलाने वाले दुर्गंध की शिकायत किये जाने पर आयुक्त ने खटाल वालों के विरुद्ध सक्त कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध निगम द्वारा सक्त कार्यवाही किया जायेगा। उन्होने जोन आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि खटाल वालों की दस्तावेज की जांचकर न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवायें तथा गंदगी फैलाने के विरुद्ध प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत करायें। आयुक्त ने कुष्ट आश्रम, गांधी नगर, गौरव पथ, आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर क्षतिग्रस्त पुलिया का संधारण, गौरव पथ में रायजिनिंग पाईप डालने के दौरान खोदे गये गड्ढ़े की मिट्टी जो बारिश में सड़क पर फैल रहें हैं उसे कार्य करने वाले ठेकेदार से ही मिट्टी को साफ कराने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये।

जन सम्पर्क अधिकारी